



श्रीमती वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार



श्रीमान् राजपालसिंह शेखावत
मंत्री नगरीय विकास स्वायत्त शासन विभाग

जोधपुर विकास प्राधिकरण

राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग व अल्प आय वर्ग के लिये ग्राम तनावड़ा ख.सं.-136 में प्रस्तावित आवासीय योजना की

आवेदन पुस्तिका



डॉ. महेन्द्रसिंह राठौड़
चेयरमैन जोधपुर विकास प्राधिकरण



मूल्य : रुपये 250 / -

आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ करने की तिथि : 01 सितम्बर 2016

आवेदन पत्र विक्रय की अंतिम तिथि : 03 अक्टूबर 2016

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि : 13 अक्टूबर 2016

हमारा सपना हर परिवार का घर हो अपना

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

राजस्थान

आवास आवंटन एक नजर

विवरण	आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग हेतु आवास (EWS फ्लेट)	अल्प आय वर्ग हेतु आवास (LIG फ्लेट)
ग्राम तनावड़ा खसरा नं.-136 में आवासों की संख्या	400	160
प्रशासनिक राशि	2000/-	3500/-
सुपर बिल्टअप एरिया प्रति इकाई	325 वर्गफीट	500 वर्गफीट
इकाई आवास की अनुमानित लागत	3,90,000/-	6,00,000/-

आवेदन पत्र प्राप्त करने का एवं जमा कराने का स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा की निम्न शाखाएँ :-

क्र.सं.	बैंक शाखा	अधिकारी	टेलीफोन नं.
1	सोजती गेट, जोधपुर (नोडल ब्रांच)	श्री डी.सी. द्विवेदी	8875001933
2	भदवासिया, जोधपुर	श्री गजेन्द्र सोलंकी	8875043212
3	बी.जे.एस. कॉलोनी, जोधपुर	श्री कुलदीप गेहलोत	8875004959
4	बोरानाड़ा, जोधपुर	श्री चंदन सिंह	8875001939
5	चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर	श्री आर.पी. अरोड़ा	8875019035
6	एम.आई.ए., जोधपुर	श्री बी.के. गुप्ता	8875001936
7	चांदपोल, जोधपुर	श्री जितेन्द्र सांखला	8875001937
8	चौपासनी रोड़, जोधपुर	श्री बी.एल. गेहलोत	8875019917
9	मण्डोर रोड़, जोधपुर	श्री एफ.एस. सुराणा	8875019919
10	पाल रोड़, जोधपुर	श्री दिनेश व्यास	8875019918
11	कुड़ी भगतासनी, जोधपुर	श्री दिनेश सोलंकी	8875000411
12	पावटा, जोधपुर	श्री आर.एस. गांधी	8875019036
13	सर्राफा बाजार, जोधपुर	श्री एम.एल. विरवाल	8875001935
14	सरदारपुरा, जोधपुर	श्री आर.पी. अग्रवाल	8875001938
15	यू.सी., जोधपुर	श्री सुनीत कुमार गर्ग	8875001934
16	जसवंत हॉल, जोधपुर	श्री गुलाब सिंह	8875021594

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के अन्तर्गत जोधपुर के तनावड़ा योजना में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग एवं अल्प आय वर्ग हेतु आवासीय योजना हेतु आम जनता से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। योजना में आवंटन हेतु फ्लेट्स की कुल संख्या-560 निर्धारित है, जिनकी संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। फ्लेट्स का आवंटन लॉटरी पद्धति से किया जावेगा, जिसमें राज्य सरकार के नियमानुसार विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

योजना की शर्तें, आवास प्रति इकाई की दर, आवास इकाई के माप आदि बिन्दुओं का उल्लेख इस पुस्तिका में कर दिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि व अल्प आय वर्ग के लिये अनुदान राशि एवं रियायती ऋण अनुदान का प्रावधान भी राज्य स्तर द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है जिसका विवरण आवेदन पुस्तिका में पृथक से दिया गया है।

अतः उक्त योजना में आवेदन कर लाभ उठावें।

शुभकामनाओं सहित।

कैलाशचन्द्र मीना (आई.ए.एस.)
आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

अरुण पुरोहित (आर.ए.एस.)
सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण,
जोधपुर

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के पंजीकरण एवं आवंटन हेतु

सामान्य नियम एवं शर्तें

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना -2015

प्रस्तावना :-

राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत राजस्थान के जोधपुर क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए जी+3 आवास निर्माण एवं आवंटन के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित नियम एवं उपनियमों के तहत संस्थाओं की योजनाओं में/नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध भूमि पर विकासकर्ताओं की टाउनशिप हाउसिंग योजनाओं में मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान लागू किये गये हैं :-

- मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के तहत जोधपुर शहर के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि पर आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए जी+3 मंजिला आवासों का निर्माण किया जावेगा।
- जोधपुर विकास प्राधिकरण की भूमि पर विकासकर्ताओं द्वारा बनाये जाने वाले जी+3 मंजिला आवास राज्य सरकार के नगरीय विकास व आवासन विभाग के अधीन संबंधित प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कर निर्धारित कीमत पर सफल आवंटियों को सुपुर्द किये जायेंगे।

योजना की क्रियान्विति हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूमि उपलब्ध करना, विकासकर्ता का चयन, पंजीकरण, आवंटन सम्बन्धी कार्य किया गया है तथा आवंटियों को वित्तीय संस्था/बैंक के ऋण उपलब्ध करवाने में सहयोग जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा किया जावेगा।

1. आवेदन पात्रता की शर्तें :-

फ्लेट आवंटन की पात्रता की शर्तें राजस्थान जोधपुर विकास प्राधिकरण (शहरी भूमि निस्तारण) नियम, 1974 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी होने वाले नियमों अनुसार होगी। मुख्य शर्तें निम्नांकित हैं :-

- 1.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो और ऐसे व्यक्ति पूर्व में रियायती दर पर आवंटन किसी भी विकास प्राधिकरण, विकास न्यास या अन्य स्थानीय निकाय से प्राप्त नहीं किया हो।
- 1.2 भारत की किसी भी राज्य में निवास करने वाला भारतीय नागरिक जो उस शहर में कम से कम एक वर्ष से रहा हो वह भी आवेदन के लिए पात्र होगा। परन्तु प्राथमिकता राजस्थान के मूल निवासी को ही दी जावेगी। आवेदक को इस आशयक का प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 1.3 आवेदक के परिवार (पति, पत्नि एवं आश्रित संयुक्त रूप से) की समस्त स्रोतों को मिलाकर आय EWS वर्ग हेतु रुपये 1,50,000/- प्रतिवर्ष व LIG वर्ग हेतु रुपये 1,50,001/- से रुपये 3,00,000/- प्रतिवर्ष तक की होनी चाहिये।
- 1.4 आय वर्ग निर्धारण के लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 की प्रमाणिक वार्षिक सकल आय (पति, पत्नि एवं आश्रित की आय संयुक्त रूप से) पर निर्भर होगी। आवेदक के आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक (पति, पत्नि एवं आश्रित संयुक्त रूप से) की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जायेगी। कुल आय में निम्नलिखित स्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी :-

क. स्वयं के लिए.:

- 1.4.1 वेतन/विशेष वेतन, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति एवं अन्य देय भत्ते।
- 1.4.2 गृह/सम्पत्ति व व्यापार से आय
- 1.4.3 विनियोग से लाभ/ब्याज
- 1.4.4 कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजन हेतु आय के रूम में सम्मिलित हो।

ख. उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक सम्बन्ध में पति/पत्नि की आय।

गं. उपर्युक्त (क) 1 से 4 तक सम्बन्ध में आश्रितों की आय।

- 1.5 आवेदन की आयु दिनांक 01.04.2016 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो और राजस्थान के किसी भी ऐसे शहर में जिसकी जनसंख्या 1,00,000 एवं उससे अधिक हो, में स्वयं आवेदक अथवा उसके पति/पत्नि एवं आश्रित के नाम आबादी भू-खण्ड/आवास फ्लेट (लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं होग।

- 1.6 पति या पत्नी में से एक ही आवेदन करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा।

- 1.7 आवेदक के स्वयं के नाम से राष्ट्रीकृत बैंक में खाता होना आवश्यक है जो कि योजना अवधि में चालू रहना चाहिये।

- 1.8 प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

2. आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं जमा कराने सम्बन्धी शर्तें :-

- 2.1 छपा हुआ आवेदन पत्र 01 सितम्बर 2016 से पुस्तिका में वर्णित गयी बैंक शाखाओं से रु. 250/- नकद अदा कर प्राप्त किया जा सकता है।
- 2.2 पात्र आवेदक (Eligible Applicant) द्वारा विधिवत भरे हुए आवेदन-पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित EWS फ्लेट के लिए रुपये 2000/- एवं LIG फ्लेट के लिए रुपये 3500/- प्रशासनिक शुल्क सहित उपरोक्त शाखाओं में निर्धारित अन्तिम तिथि 13 अक्टूबर, 2016 दोपहर 3.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे। जमा काउण्टर से रसीद प्राप्त करें। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- 2.3 पात्रता की शर्तें पूर्ण न करने पर या अन्य किसी प्राधिकरण निर्णय, राज्यादेश या शहरी भूमि निस्तारण नियम एवं अन्य प्रचलित विधि से अपात्र व्यक्तियों के आवेदन निरस्त कर दिये जायेंगे एवं प्रशासनिक शुल्क राशि जब्त करने के सम्बन्ध में भूमि निष्पादन नियम, 1974 नियम प्रभावी रहेंगे।
- 2.4 निम्न स्थिति में आवेदन निरस्त किये जायेंगे :-
- (अ) आवेदन के साथ निर्धारित प्रशासनिक राशि जमा कराने के अन्य वांछित दस्तावेज सलंगन नहीं हों।
- (ब) आवेदन पत्र में वर्णित कोई तथ्य असत्य अंकित किया गया हो या छिपाया गया हो।
- (स) आवेदन पत्र में वांछित सूचना का कोई बिन्दु लागू नहीं है तो इस बाबत स्पष्ट अंकन किया जावे।
- (द) यदि आवेदक स्वयं, पत्नि पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में फ्लेट आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाते हैं एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते हैं तो उस स्थिति में फ्लेट परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा। शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदकों के फ्लेट आवंटन नहीं जायेंगे व जमा राशि में से 05 प्रतिशत राशि काट कर शेष राशि लौटा दी जायेगी। आवंटित जिस सदस्य का फ्लेट आप रखना चाहते हैं उसकी राशि बिन्दु संख्या-3.9 की तालिका के अनुसार ही जमा करानी होगी और एक ही फ्लेट प्राप्त करने का शपथ-पत्र पेश करना होगा।
- 2.5 लॉटरी के लिये पात्र व्यक्तियों की सूची प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण के सूचनार्थ लगाई जायेगी एवं प्राधिकरण वेबसाइट पर अपलोड भी की जायेगी। www.jodhpurjda.org
- 2.6 पात्र आवेदकों की ऐसी सूची में से लॉटरी के जरिये सफल आवेदकों का चयन होगा एवं लॉटरी में सफल व्यक्तियों को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित डाक के पते पर आवंटन मांग पत्र जारी किये जायेंगे। ऐसी सूचना के 30 दिवस के अन्दर मांग पत्र राशि सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्देशित EXCROW Account में निर्धारित किश्तों में जमा करानी होगी।
- 2.7 आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड/फोटो पहचान पत्र तथा मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेन्स अथवा अन्य कोई फोटो युक्त दस्तावेज में से किसी एक की सत्यापित प्रति सलंगन करनी होगी।

2.8 उक्त योजना के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रशासनिक राशि के लिए सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय डी.डी./नकद के रूप में निर्धारित बैंक में चालान के द्वारा जमा करवानी होगी।

3. फ्लेट आवंटन की शर्त :-

3.1 लॉटरी में सफल आवेदकों को फ्लेट की राशि जमा कराने हेतु तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र जारी किया जायेगा।

3.2 फ्लेट निर्माण के पश्चात् एवं फ्लेट की सम्पूर्ण राशि जमा होने के पश्चात् ही स्थायी आवंटन-पत्र (लीज-डीड) जारी किये जायेंगे।

3.3 फ्लेट 99 वर्ष की लीज पर आवंटी के व्यय पर आवंटित किया जायेगा एवं आवंटी के व्यय पर ही लीज डीड का निष्पादन समस्त राशि जमा होने पर एवं समस्त शर्तों को पूरा करने पर आवंटी के व्यय पर पंजीयन कराया जायेगा। उसके पश्चात् ही फ्लेट का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

3.4 प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना फ्लेट का किसी भी रूप में आवंटन की तिथि से 10 वर्ष तक हस्तान्तरण प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध (ab initio void) होगा और ऐसे क्रेता के प्रति प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। ऐसे क्रेता एवं विक्रेता दोनों फ्लेट में बेदखली के उत्तरदायी होंगे और बिना किसी अतिरिक्त प्रतिकार के फ्लेट का आधिपत्य प्राधिकरण प्राप्त कर सकेगा। 10 वर्ष की अवधि में केवल विरासत का नामांतरण किया जा सकेगा।

3.5 नियमानुसार देय शहरी जमाबंदी वर्तमान आरक्षित दर की 1.25 (सवा प्रतिशत) प्रथम पांच वर्ष के लिए एवं इसके बाद 2.5 (ढाई प्रतिशत) प्रतिवर्ष देय होगी। प्रथम वर्ष की शहरी जमाबंदी राशि अग्रिम जमा करानी होगी। यदि आवंटीत 2.5 (ढाई प्रतिशत) की दर से आठ साल की एकमुश्त रकम जमा कराता है तो भविष्य में शहरी जमाबंदी राशि जमा करने से छूट रहेगी।

3.6 आवंटन में प्राप्त फ्लेट केवल आवासीय उपयोग में लिया जायेगा, अन्य किसी प्रयोजन में उपयोग लेने पर आवंटन निरस्त किया जायेगा।

3.7 आवेदक को आवंटित मकान का कब्जा लिये जाने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटित मकान निरस्त कर दिया जायेगा तथा अधिशेष आवास प्रतीक्षारत आवेदक को आवंटित कर दिया जायेगा।

3.8 राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पत्ति करो का भुगतान करना होगा। जैसे - आवास, सम्पत्ति कर, नगर पालिका कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

3.9 आवेदक को आवंटित प्लेट की लागत राशि का भुगतान निम्न प्रकार से करना होगा :-

क्र. सं.	विवरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग हेतु राशि (रूपये)	अल्प आय वर्ग हेतु राशि (रूपये)
1.	प्लेट की कुल अनुमानित लागत	3,90,000/-	6,00,000/-
2.	प्रथम किश्त तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस में जमा करानी होगी।	7,000/-	14,000/-
3.	द्वितीय किश्त तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने की दिनांक से 60 दिवस में जमा करानी होगी।	7,000/-	14,000/-
4.	तृतीय किश्त तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने की दिनांक से 90 दिवस में जमा करानी होगी।	7,000/-	14,000/-
5.	बैंक से ऋण प्राप्त कर अथवा स्वयं के स्रोत से जमा कराने योग्य (राशि तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र जारी होने के तीन माह में)	2,92,200/-	4,50,000/-
6.	तदर्थ (Provisional) आवंटन पत्र के जारी होने के चौथे माह से 24 किश्तें लगातार जमा करवानी होगी। (प्रत्येक माह की 15 तारीख तक)	3200 प्रति किश्त (24 x 3200 = 76800)	4500 प्रति किश्त (24 x 4500 = 108000)
	योग	3,90,000/-	6,00,000/-
(i) प्रशासनिक शुल्क, मानचित्र शुल्क एवं एक वर्ष की अग्रिम जमाबंदी राशि अतिरिक्त देय होगी।			
(ii) सुपर बिल्टअप क्षेत्रफल में आंशिक परिवर्तन होने पर लागत उसी अनुपात में परिवर्तित हो सकती है।			

3.10 आवेदक द्वारा शपथ-पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना दिये जाने पर या कोई तथ्य छिपाने पर आवेदक का पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। यदि आवास का आवंटन हो चुका हो तो सरकार ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास का कब्जा वापिस लेने के लिए सदैव सक्षम होगी।

3.11 वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा। कब्जा दिये जाने के पश्चात् समस्त जिम्मेदारी आवंटी की होगी।

3.11.1 विद्युत फिटिंग/फिक्सचर

3.11.2 सेनेटरी फिटिंग/फिक्सचर

- 3.12 मुख्यमंत्री जन आवास योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं राशि जमा कराने हेतु निर्धारित बैंक आफ बड़ौदा, जोधपुर निर्धारित है।
- 3.13 उपरोक्त फ्लेट की सम्पूर्ण लागत राशि निर्धारित अवधि में जमा होने पर एवं परियोजना के पूर्ण होने पर (विकास कार्य सहित) ही फ्लेट के पंजीयन एवं कब्जा दिये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 3.14 सभी आवंटियों को बिन्दु संख्या-3.9 की तालिका में दर्शाये अनुसार वांछित राशि निर्धारित अवधि में जमा कराना अनिवार्य है। आवंटी फ्लेट लेने का इच्छुक न हो अथवा लगातार तीन किश्ते जमा नहीं कराने पर भूमि निष्पादन नियम-1974 प्रभावी रहेंगे एवम् उसी के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी। प्रथम दो किश्तें आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (EWS) के रुपये 14,000/- एवं अल्प आय वर्ग (LIG) के रुपये 28,000/- जब्त कर शेष राशि बिना ब्याज सहित लौटा कर प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जाकर लॉटरी द्वारा उपलब्ध कराई गयी वरीयता सूची में से क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची में अन्य आवंटी को आवंटन कर दिया जावेगा।
- 3.15 उपरोक्त शर्तें एवं अन्य कोई शर्तें जो समय-समय पर राज्य सरकार या विकास प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित हो समय-समय पर विधि विभाग द्वारा प्रदत्त नियमों को स्वीकार करने हेतु प्रत्येक आवंटी बाध्य होगा।

4. विशेष जानकारीयां/शर्तें :-

- 4.1 आवेदक के स्वयं के परिवार की वार्षिक सकल आय (पति, पत्नि एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष 2015-16 के आधार पर होनी चाहियें। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी।
- 4.2 निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया गया आय प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा। वेतन स्लिप व अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कद दिए जाएंगे।
- 4.3 निम्नांकित कारणों से आवेदन पत्र अस्वीकार/निरस्त कर दिए जावेंगे एवं प्रशासनिक शुल्क जब्त कर लिया जावेगा :-
- (i) एक योजना में एक ही आय वर्ग के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करें। एक से अधिक आय वर्ग में आवेदन करने पर समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
 - (ii) यदि आवेदन निर्धारित आरक्षित क्षेणी में किया गया हो परन्तु उसकी पुष्टि हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जावे।
 - (iii) यदि आवेदन एक से अधिक क्षेणी में किया गया हो अथवा निर्धारित श्रेणी में एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर।
 - (iv) आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर।
 - (v) नियत तिथि को निर्धारित आयु (18 वर्ष) से कम आयु के व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर।
 - (vi) संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।
- 4.4 आवासीय इकाई से सम्बन्धित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे : जीना, अहाते की दीवारे, बगीचे, खुला स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा

रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था का सदस्य होना अनिवार्य होगा। इस संस्था का गठन राजस्थान सरकार के नियमों तथा उपनियमों के अनुसार होगा। आवासों का कब्जा इसी शर्त पर दिया जावेगा एवं उपरोक्त नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। भविष्य में सोसायटी द्वारा रख-रखाव हेतु मांगी गई राशि आवंटी द्वारा जमा कराई जावेगी।

4.5 इस योजना में प्राप्त आवेदनों की आर्य वर्गानुसार एवं श्रेणीवार उपलब्ध आवासों की संख्या के अनुसार लॉटरी द्वारा (पंजीकरण योजना के अन्तिम तिथि के पश्चात् लगभग दो माह में) वरीयता निर्धारित की जायेगी।

4.6 आवासों की उपलब्ध संख्या के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आवेदकों की प्रतीक्षारत सूची तैयार की जावेगी।

5. प्लेट में आरक्षण व अन्य शर्तें :-

5.1 आवेदन पत्र जमा कराने एवं आवंटन के बीच यदि आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो आवंटन/हस्तांतरण उसके नॉमिनी अथवा विधिक उत्तराधिकारियों को किया जा सकेगा।

5.2 प्राधिकरण द्वारा पत्राचार आवेदन पत्र में अंकित पते पर ही किया जावेगा। यदि पते में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसकी सूचना प्राधिकरण को देने पर परिवर्तित पते पर सूचना देने का प्रयास किया जावेगा, किन्तु प्राधिकरण इस हेतु बाध्य नहीं होगा।

5.3 योजना आवासों में निम्नानुसार आरक्षण किया जावेगा। अतः आवेदक को किसी एक श्रेणी में ही आवेदन करना होगा :-

क्र.सं.	आवंटन हेतु श्रेणी	आरक्षण का विवरण
1	2	3
1.	राज्य सरकार के विभागों एवं राजकीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिये	18%
2.	अनुसूचित जाति के लिये	9%
3.	अनुसूचित जनजाति के लिये	6%
4.	सैनिक/सेवानिवृत्त सैनिक एवं सेवाकाल के दौरान वीरगति को प्राप्त सैनिकों की विधवाएँ एवं आश्रितों के लिये	10%
5.	निःशक्त जन के लिये	2%
6.	अधिस्वीकृति पत्रकारों के लिये	2%
7.	सामान्य/अनारक्षित	53%
	योग	100%

5.4 किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदन पत्र पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं होने पर उस वर्ग के शेष आवास इकाईयों का आवंटन सामान्य वर्ग के आवेदकों को किया जायेगा।

5.5 आवेदन पत्र जमा कराते समय कृपया सुनिश्चित कर ले कि :-

❖ आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियाँ भर दी गई है, (जो लागू न हो उसे कृपया काट दें)।

❖ निर्धारित प्रारूप का शपथ-पत्र विधिवत प्रमाणित करवा लिया गया है।

- ❖ आय, मूल-निवास, शपथ-पत्र राज्य कर्मचारी एवं आरक्षण चाहने की स्थिति में आरक्षित वर्ग का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र सलंग्न कर दिया गया है।
 - ❖ निर्धारित स्थान पर आवेदक का पासपोर्ट आकार का स्वयं का हस्ताक्षरित फोटो चिपका दिया गया है।
 - ❖ पत्रकार कोटे में आवेदनकर्ता को अधिस्वीकृत पत्रकार होना अनिवार्य है, इस हेतु निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार DAVP एवं द्वारा जारी निर्धारित अधिस्वीकृत पत्रकार होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - ❖ निर्धारित प्रारूप में अधिकृत रूप से जारी आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित अन्तिम दिनांक तक जमा हो जाना चाहिये। इस अवधि के पश्चात् आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- 5.6 विकलांग श्रेणी में केवल वे आवेदक ही आवेदन प्रस्तुत करें, जिनके पास निर्धारित 40 प्रतिशतता अथवा अधिक प्रतिशतता का विकलांगता प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी का जारी किया हुआ है। यह प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से सलंग्न करना होगा।
- 5.7 राज्य कर्मचारी के लिये आरक्षित फ्लेट हेतु ऐसे आवेदक ही पात्र होंगे जो राज्य सरकार की सेवा में निर्धारित वेतनमानों में सेवारत है अर्थात् जो व्यक्ति राजस्थान सरकार/राजकीय विश्वविद्यालय (इसमें नियमित रूप से नियुक्त)/राज्य स्थानीय निकाय/राजस्थान सरकार के उपक्रमों के अधीन कार्यरत है। केन्द्रीय सरकार एवं केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारी इस आरक्षित वर्ग में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे। प्रशिक्षु कर्मचारी भी शामिल होंगे।
- 5.8 आरक्षण केवल एक ही वर्ग में मान्य होगा जैसे व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग का है व विकलांग भी है एवं भूतपूर्व सैनिक भी है व पत्रकार भी है तो केवल एक ही वर्ग में आवेदन करेगा अन्यथा एकाधिक वर्ग में आवेदन करने पर आवेदनकर्ता के समस्त आवेदन निरस्त कर दिये जावेंगे।
- 5.9 सैनिक का अर्थ थल, जल, वायुसेना, बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत अथवा इन सेवाओं से सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी एवं उनके पति/पत्नी/एक परिवार के सदस्य से है।
- 5.10 आवेदक जिस सैनिक के परिवार के सदस्य होने का कथन करता है उनमें से केवल एक आवेदक ही आवेदन कर सकता है अर्थात् सैनिक वर्ग में केवल उसी स्थिति में पति अथवा पत्नी द्वारा आरक्षित कोटे (सैनिक) से आवेदन किया जा सकता है, जब स्वयं सैनिक द्वारा आवेदन नहीं किया गया हो।
- 5.11 सैनिक अथवा उसके पति/पत्नी को पूर्व में राज्य की किसी यूआई.टी. अथवा विकास प्राधिकरण की किसी आवासीय योजना में आरक्षित कोटे से कोई आवास गृह आवंटन होने की स्थिति में वह फ्लेट आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।
- 5.12 मृतक सैनिक के परिवार का एक ही सदस्य आरक्षित कोटे हेतु आवेदन कर सकता है एक से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जावेंगे।

- 5.13 सैनिक कोटे में आरक्षित फ्लेट्स हेतु आवेदक को परिशिष्ट प्रारूप अनुसार रुपये 10/- नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रमाणित अतिरिक्त शपथ पत्र सलंगन करना आवश्यक है।
- 5.14 सैनिक श्रेणी (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं) के लिये आरक्षित फ्लेट्स का आवंटन उनके मध्य निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। इसके लिये सम्बन्धित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण-पत्र लगाया जाना आवश्यक है :-
- (अ) उन सैनिकों की विधवाएँ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु देश की सीमा की रक्षा करते हुये हुई हो। (एवं बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के उन कार्मिकों की विधवाएँ एवं आश्रित जिनकी मृत्यु ड्यूटी निष्पादन के दौरान हुई हो)।
- (ब) विकलांग सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)
- (स) अन्य सैनिक (बी.एस.एफ., सी.आर.पी.एफ. एवं सी.आई.एस.एफ. के कार्मिकों सहित)
- 5.15 आवंटित आवास के कब्जा प्राप्त करने के समय रजिस्ट्री के लिए नियमानुसार मुद्रांक शुल्क देय होगा।
- (अ) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग फ्लेट के लिए रुपये 50/- प्रति फ्लेट।
- (ब) अल्प आय वर्ग फ्लेट के लिए रुपये 100/- प्रति फ्लेट।
- 5.16 शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों को भूतल एवं नीचे तल पर फ्लेट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी।
- 5.17 राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं नियंत्रण कमेटी (State Level Sanctioning and Monitoring Committee) द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय मान्य होंगे।
- 5.18 किसी भी कारण से अधिशेष/निरस्त आवास प्रतीक्षारत आवेदकों को आवंटित किये जायेंगे।
- 5.19 विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जोधपुर ही होगा।
- 5.20 आवेदन पत्र के साथ सलंगन किये जाने वाले प्रपत्र :-**
- 5.20.1 आय प्रमाण-पत्र, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक के द्वारा सत्यापित कर के देना होगा।
- 5.20.2 आवेदक के स्वयं, पत्नी का, उनके आश्रित का वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के किसी एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर में आवास या भूखण्ड नहीं होने बाबत शपथ-पत्र देना अनिवार्य होगा।
- 5.20.3 आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होने का बोनोफाईड प्रमाण-पत्र।
- 5.20.4 पहचान-पत्र की सत्यापित प्रति।
- 5.20.5 देय राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/नकद चालान।
- 5.20.6 अन्य प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र जो भी लागू हो।
- 5.20.7 आवेदन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया :- यदि कोई आवेदक लॉटरी से पूर्व पंजीकरण निरस्त करवाना चाहता है तो पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत राशि काट कर शेष लौटा दी जायेगी इस हेतु आवेदन को लॉटरी की नियत दिवस से सात दिवस पूर्व आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा उसके नाम का पंजीकरण निरस्त नहीं किया जायेगा।
- 5.21 भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत देय लाभ लागू होंगे।

5.22 वेबसाइट पर सूचनाओं का प्रकाशन :

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा योजना के आवेदन पत्रों की प्रारम्भिक जांच में निरस्त आवेदन पत्रों के आवेदकों की सूची जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की वेबसाइट पर अवलोकनार्थ जारी की जावेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों की आवंटन से पूर्व मात्र प्रारम्भिक जांच ही की जावेगी। लॉटरी के बाद सफल आवेदकों के आवेदन पत्रों की पूर्ण जांच की जावेगी। जांच आवेदन पत्र अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण अथवा निरस्त योग्य पाये जाने पर आवेदन पत्र व आवंटन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा प्रशासनिक राशि जब्त कर ली जावेगी।

योजना से सम्बन्धित जानकारी समय-समय पर प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाले निर्णय/निर्देश और सूचनाओं को उपरोक्त वेबसाइट WWW.Jodhpurjda.org पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया आवश्यक सूचनाओं हेतु उक्त वेबसाइट का अवलोकन समय-समय पर करते रहें।

5.23 आवेदन पत्र जमा करवाने की तिथि :-

पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 13 अक्टूबर 2016 को दोपहर 3.00 बजे तक बैंक कार्य समय में उल्लेखित बैंक की शाखाओं में जमा करवाये जा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

6. उपरोक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित कर लेवें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।

(समस्त आवेदकों के लिए)

:: शपथ-पत्र ::

मैं पुत्र/पत्नी श्री
जाति हाल निवास तहसील
जिला में निवास करता/करती हूँ। राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए
अधिकृत संस्था जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के
अन्तर्गत जारी किये गये विज्ञापन को भलिभांति जानकर, पढ़कर मेरे द्वारा आवेदन पत्र
आय वर्ग आवास जी+3 फ्लेट हेतु भेजा जा रहा है। मैं शपथ-पत्र के माध्यम से स्वीकार करता हूँ कि
:-

1. पारदर्शिता आधार पर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निकाली गई लॉटरी में योजना के किसी भी तल पर जो आवास मुझे आवंटित होगा, वह मुझे स्वीकार्य होगा।
2. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में दी गई समस्त शर्तों का पालन किया जावेगा।
3. मेरे/हमारे द्वारा पंजीकरण पुस्तिका में आवास आवंटित होने पर विभिन्न चरणों में देय राशि उचित समय पर मेरे द्वारा अदा की जायेगी।
4. मेरे/हमारे द्वारा आवास आवंटन के मद में जमा करवाई गई राशि का उपयोग सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर, बैंक एवं विकासकर्ता के मध्य हुए 'एस्करो' समझौता पत्र की शर्तों के अधीन किया जा सकेगा, इसके लिए बैंक द्वारा मेरे/हमारे से पूर्व स्वीकृति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
5. मेरे/हमारे द्वारा अगर बैंक से ऋण राशि प्राप्त की जाती है तो उसके विरुद्ध मेरे/हमारे आवास का प्रोविजनल आवंटन/आरक्षण/मूल आवंटन पत्र बैंक के पास गिरवी रखा जाता है, तो उससे हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।
6. मैं/हम यह स्वीकार करते हैं कि मेरे/हमारे बैंक ऋण की किश्त हमारे द्वारा कुल अर्जित वार्षिक आय की 30 से 40 प्रतिशत राशि से अधिक नहीं होगी एवं मेरे/हमारे द्वारा समस्त राशि की समय पर व्यवस्था कर ली जावेगी।
7. मैं/हम स्वीकार करते हैं कि चूंकि प्रस्तावित आवासीय योजना चयनित भूमि पर, राज्य सरकार की मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत सस्ती दरों पर फ्लेट आवंटित किये जाते हैं, जिसके लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं विकासकर्ता के मध्य समझौता पत्र हस्ताक्षरित होना है, चूंकि इस समझौता पत्र के तहत विकासकर्ता को दी जाने वाली आवास निर्माण की लागत समझौता शर्तों के अनुसार निश्चित समयावधि में दी जानी है, जो कि मेरे/हमारे सम्बन्धित बैंक शाखा खाता से ली जाकर जोधपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से विकासकर्ता को अदा की जावेगी। इस पूर्ण प्रक्रिया में मेरे/हमारे बैंक खाता को सम्बन्धित बैंक द्वारा "एस्करो एग्रीमेन्ट" की शर्तों के अधीन उपयोग में लाये जाने पर मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी और ना ही सम्बन्धित बैंक से किसी प्रकार के अतिरिक्त क्लेम की मांग की जावेगी।
8. अगर आवश्यकतानुसार सम्बन्धित बैंक शाखा मेरे/हमारे द्वारा लिखित हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित शपथ-पत्र को "एस्करो एग्रीमेन्ट" का भाग बनाया जाता है तो मुझे/हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

नोटरीज्ड सत्यापन

आवेदक के हस्ताक्षर

(शपथ-पत्र 50 रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए तथा हस्ताक्षर नोटरी पब्लिक अथवा प्रथम श्रेणी दण्डनायक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए)

:: शपथ-पत्र ::

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं, पुत्र/पत्नी श्री

सशपथ बयान करता/करता हूँ कि -

1. मेरे पास स्वयं या पति/पत्नी के नाम से राजस्थान के किसी भी शहरी क्षेत्र में जिसकी आवासीय आबादी 1,00,000 या इससे अधिक है, मैं आवासीय आवासन मण्डल, नगर निगम, जोधपुर विकास प्राधिकरण एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
2. मुझ पर आश्रित किसी व्यस्क अथवा अव्यस्क पुत्र/पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री के नाम राजस्थान आवासन मण्डल, नगर पालिका, राज्य के प्राधिकरणों एवं निकाय द्वारा आवंटित कोई भी भूखण्ड एवं आवास भी किसी वर्ग या श्रेणी का नहीं है।
3. मुझे मेरे पति/पत्नी या मुझ पर आश्रित व्यस्क, अव्यस्क, पुत्र/पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री का स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम/ राज्य के प्राधिकरणों द्वारा आवासीय भूखण्ड लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर आवंटित नहीं हुआ है।

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ-गृहिता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र कें अंकित उक्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास एवं जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित है। किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पत्नी/पुत्री ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

**प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक**

(इस शपथ-पत्र का प्रमाणन केवल राजस्थान सरकार/भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक के माध्यम से कराया जाना है इसके अतिरिक्त अन्य किसी का प्रमाणन मान्य नहीं होगा।)

रुपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर

शपथ-पत्र

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं, पिता/पति
वर्ग (कोई एक) : अनु. जाति/अनु. जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार/राजकीय कर्मचारी/सैनिक/भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित आयु वर्ष
..... व्यवसाय निवासी
..... शपथ पूर्वक निम्न कथन करता हूँ :-

1. कि मैं शहर/गांव जिला/..... राज्य
का मूल निवासी हूँ और मेरी दिनांक को आयु 18 वर्ष से अधिक है।
2. कि मेरा व्यवसाय है तथा मेरी व मुझ पर आश्रित परिवार के सदस्यों की समस्त स्रोतों से आय रु. (अंको में) (शब्दों में)
..... वार्षिक आय है। (वेतनभोगी अपने नियोक्ता का प्रमाण-पत्र देवें।)
3. कि मैं राजस्थान राज्य के लिये विधिवत अधिसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हूँ और पुष्टि में सक्षम प्राधिकारी का पद/नाम से जारी प्रमाण-पत्र संख्या ...
..... दिनांक सलग्न है।
4. कि मैं भार संघ की सशस्त्र सेनाओं का भूतपूर्व सेनाओं का भूतपूर्व कर्मी होकर सेवानिवृत्त सैनिक हूँ। युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा आरक्षित/युद्ध में विकलांग अंकित हूँ। पुष्टि में राज्य/जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण-पत्र सलग्न है।
6. कि मेरे या मेरे परिवार में पति/पत्नी/आश्रित के नाम राजस्थान के किसी ऐसे शहर या कस्बे में जिसकी जनसंख्या 1,00,000 से अधिक हो, में फ्लेट/भू-खण्ड या भवन (लीज होल्ड/फ्री होल्ड पर) नहीं है।

7. कि मैंने एवं पति, पत्नी, आश्रित द्वारा पूर्व में किसी नगर विकास प्रन्यास/विकास प्राधिकरण या अन्य स्थानीय निकाय से रियायती दर या किसी भवन या भूखण्ड का आवंटन प्राप्त नहीं किया है।
8. कि मैंने आवेदन पत्र की समस्त शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है इन्हें एवं शहरी निस्तारण नियम-1974 एवं उसके समय-समय पर किये जाने वाले संशोधनों के अधीन आवंटन हेतु आवेदन किया है। इन्हें एवं राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा अधिरोपित शर्तों को मानने को मैं व्यक्तिगत रूप से बाध्य होऊंगा।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ-गृहिता यह शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ-पत्र के अंकित उक्त समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान, विश्वास एवं जानकारी से सही है इसमें मैंने कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई तथ्य गलत अंकित है। किसी तथ्य के गलत पाये जाने पर आवंटन की दशा में आवंटन एवं आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पत्नी/पुत्री ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर आज दिनांक को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

**प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक**

मूल निवास प्रमाण-पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

श्री/श्रीमती/सुश्री पुत्र/पुत्री/पत्नी

और इनका परिवार साधारणतः नगर राज्य/संघ क्षेत्र

जिला के निवासी है। आज दिनांक को

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर तथा इस न्यायालय की मोहर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर

पद उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार

कार्यालय की मोहर

नोट : यहां प्रयोग किये गये साधारण निवासी का अर्थ वही होगा जो कि रिप्रजेन्टेशन
ऑफ पिपुल्स एक्ट 1950 की धारा 20 में है।

आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावे। वेतन प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आय प्रमाण-पत्र
गैर वेतनभोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतनभोगी आवेदकों के लिए

क्रमांक :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी जाति निवासी
.....तहसील
जिला राज्य की परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) की
सकल वार्षिक आय रु. प्रति माह है।

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट
राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक के
हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत किया जावे। वेतन प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे एवं आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

आय प्रमाण-पत्र
गैर वेतनभोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतनभोगी आवेदकों के लिए

क्रमांक :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी जाति निवासी
.....तहसील
जिला राज्य की परिवार (पति, पत्नी एवं आश्रित) की
सकल वार्षिक आय रु. प्रति माह है।

स्थान :-

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट
राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक के
हस्ताक्षर मय मोहर

आय प्रमाण-पत्र
राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए

क्रमांक :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री इस विभाग में
पद पर कार्यरत है एवं ये/राजस्थान सरकार अथवा/राजस्थान सरकार के उपक्रम में
स्थायी/अस्थायी कर्मचारी है इनकी सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2015-16 में
है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
के हस्ताक्षर मय मोहर

सैनिक/सैनिक पर आश्रित एवं सैनिक की विधवाओं हेतु
(आय प्रमाण-पत्र के लिए मान्य नहीं होगा)

प्रमाणित किया जाता है कि (रैंक).....

(नाम) (नम्बर)

(अ) यह वर्तमान में भारतीय थल/जल/वायु सेना/सीमा सुरक्षा बल/केन्द्र रिजर्व पुलिस बल/सी.आई.एस.एफ. में कार्यरत है। इनकी सकल वार्षिक आय रुपयेप्रतिवर्ष है/अथवा

(ब) ये सशस्त्र सेनाओं/सुरक्षा बलों से दिनांक को सेवानिवृत्त हुए हैं तथा सेवानिवृत्ति के समय इनकी सकल वार्षिक आय रुपये प्रतिवर्ष थी/अथवा

(स) इनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए दिनांक को हो गयी थी। इनकी विधवा श्रीमती है। इनके पति की मृत्यु के समय सकल वार्षिक आय रुपये प्रतिवर्ष थी। इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

स्थान :

दिनांक :

कमान्डिंग ऑफिसर/
सक्षम अधिकारी/सचिव सैनिक बोर्ड
के हस्ताक्षर मय मोहर

शपथ-पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल हैं)
कोटे हेतु आरक्षित फ्लेट्स हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन हेतु

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
आयु निवासी
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लेट हेतु एक मात्र मैं ही आवेदन कर रहा/रही हूँ। परिवार के किसी अन्य सदस्य न उक्त आरक्षित कोटे से फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है।
2. यह कि मेरे पिता/पति/पत्नी सैनिक थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके आधार पर आरक्षित कोटे से मेरे अतिरिक्त परिवार के किसी भी सदस्य ने आरक्षित कोटे में फ्लेट आवंटन हेतु आवेदन नहीं किया है तथा न ही मेरे स्व. पिता/पति/पत्नी श्री/श्रीमती ने एवं हमारे परिवार के किसी सदस्य ने सैनिक कोटे में आज तक आरक्षित आवासगृहों/भूखण्डों में से कोई आवासगृह/ भूखण्ड आवंटित कराया है।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी शपथ
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर
आज दिनांक को ली है।

हस्ताक्षर मय सील
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक
मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक

(जो लागू न हो उसे काट दे)

शपथ-पत्र

सैनिक (जिसमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी शामिल है)
कोटे हेतु आरक्षित फ्लेट्स हेतु परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन करने पर सैनिक
द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
आयु निवासी
शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. यह कि मैं सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लेट के आवंटन की पात्रता रखता हूँ।
2. यह कि उक्त आवासीय योजना में सैनिक कोटे से आरक्षित फ्लेट आवंटन हेतु मेरे द्वारा कोई आवेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
3. यह कि उक्त श्रेणी में आरक्षित फ्लेट हेतु उसके परिवार के सदस्यों के रूप में मेरा/मेरी पत्नी/पुत्र/पुत्री/पति श्री/श्रीमती/सुश्री द्वारा फ्लेट आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। उसे ही मेरी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के रूप में स्वीकार किया जावे।
4. यह कि मुझे व मेरे परिवार को सैनिक कोटे से आरक्षित श्रेणी में रियायती दर पर आज तक कोई फ्लेट/भूखण्ड आवंटित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर शपथ गृहिता

घोषणा

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी शपथ
पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पत्नी/पुत्री ने उपरोक्त शपथ मेरे सम्मुख स्वयं उपस्थित होकर
आज दिनांक को ली है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/
नोटरी पब्लिक

(शपथ-पत्र रुपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर होना चाहिये एवं नोटरी पब्लिक/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट से प्रमाणित करा उनके रजिस्टर में दर्ज करवाया जाकर क्रमांक एवं दिनांक अंकित कराया जावे।)

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... ग्राम/नगर
जिला..... की मेरे द्वारा चिकित्सकीय जांच की गयी। ये शारीरिक रूप से
निःशक्त व्यक्ति है। इनकी निःशक्तता का प्रतिशत
है।

प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

नोट : पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जा सकती है।

अधिस्वीकृत पत्रकारों के लिए प्रमाण-पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री पद
निवासी
ग्राम/नगर जिला..... अधिस्वीकृत पत्रकार है। इनका
विवरण निम्न प्रकार है :-

प्रिण्ट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम :-
राज्य सरकार/जन सम्पर्क निदेशालय में पंजीकरण संख्या :-
अन्य विवरण :-
.....
.....

उक्त श्री
की अधिस्वीकृत पत्रकार हेतु वैधता अवधि दिनांक
तक है। इनकी वार्षिक सकल पारिवारिक आय रुपये है।

स्थान :

दिनांक :

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क/
प्राधिकृत अधिकारी
के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रमाण-पत्र

क्रमांक :

दिनांक :

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीजाति.....
.....निवासीग्राम/नगर
..... तहसीलजिला..... के सदस्य है जो कि
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (सूची) संशोधन अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत
राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल है।

हस्ताक्षर

तहसीलदार
(कार्यालय मोहर सहित)

प्रधानमंत्री आवास योजना से मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 से अनुदान

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-2015 के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग व अल्प आय वर्ग में श्रेणीगत व्यक्तियों को आर्थिक अनुदान व ऋण अनुदान दिये जाने के लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 में प्रावधान रखा है।

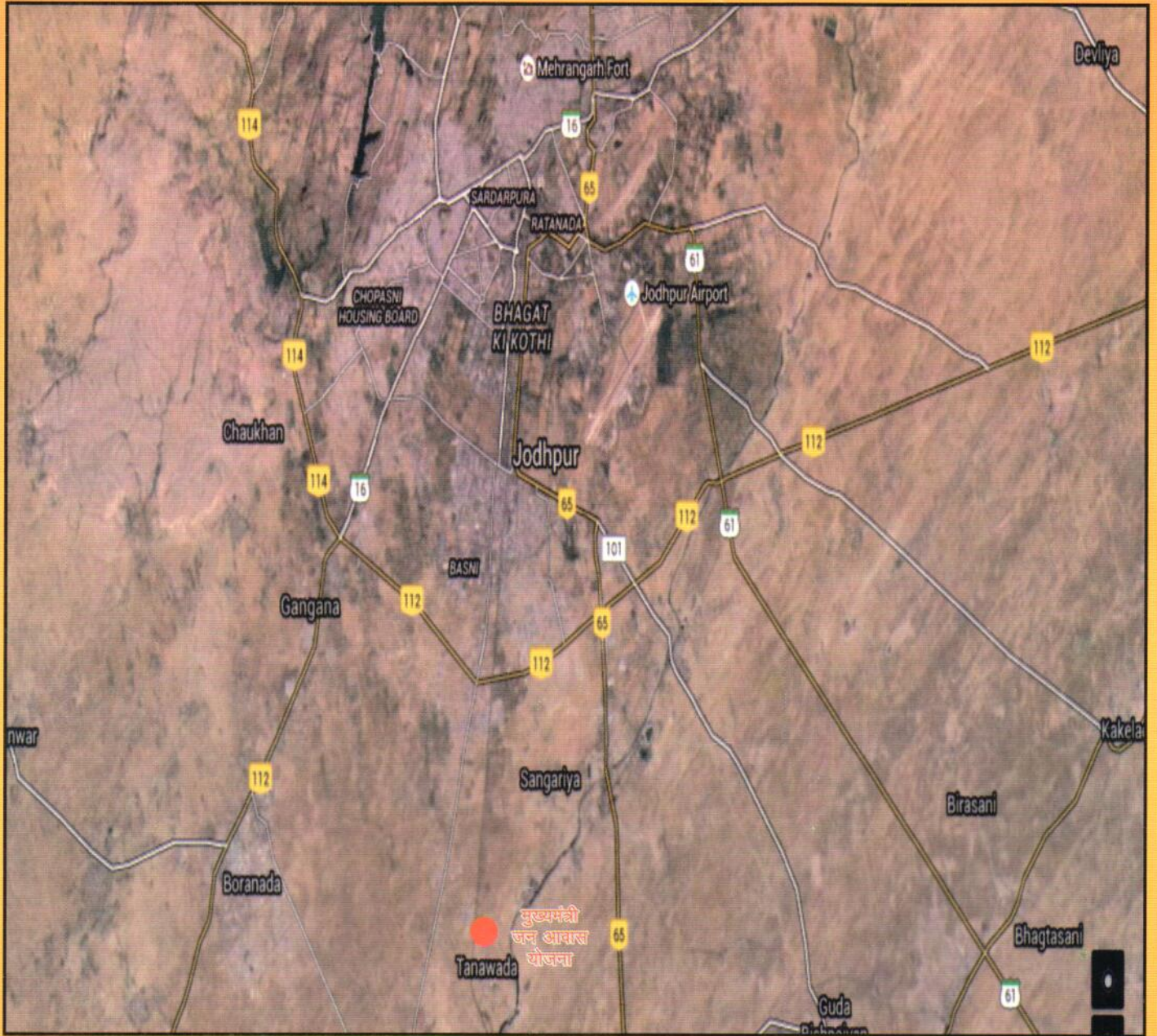
1. क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास ऋण, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए ऋण अनुदान दर @ 6.50% पर रुपये 6.00 लाख तक उपलब्ध करवाया जा सकेगा। यह सुविधा नये आवास निर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा अल्प आय वर्ग के लिए निर्माण क्षेत्रफल क्रमशः 30 वर्गमीटर तथा 60 वर्गमीटर पर लागू होंगे। इस योजना में ऋण सब्सिडी प्राप्त करने लिए आवेदन पुस्तिका में सलग्न प्रारूप-1 की पूर्तिकर प्रस्तुत करना होगा।

2. अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप स्कीम

इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को रुपये 1.50 लाख का अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकेगा। इस वर्ग में अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पुस्तिका में सलग्न प्रारूप-1 की पूर्तिकर प्रस्तुत करना होगा।

जोधपुर मानचित्र



सम्पर्क सूत्र :
जोधपुर विकास प्राधिकरण
रेल्वे अस्पताल के पास, रतानाड़ा, जोधपुर 342001
फोन .नं. 0291-2612086, 2656355